## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Revival of SSIs

*241. SHRI M.V. MYSURA REDDY: Will the Minister of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the Small Scale Industries which are lying closed and the number of such industries that have availed subsidy;

(b) whether Government are formulating any scheme for revival of the above Small Scale Industries;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps taken by Government to implement the above scheme in national interest?

THE MINISTER OF SMALL SCALE INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (d) A statement is placed on the Table of the House.

***Statement***

(a) Information on closed Small Scale Industries (SSI) and subsidy availed of by them is not maintained centrally. However, during the Third All India Census of SSIs, with reference year 2001-02, 8,87,427 units out of 22,62,401 registered units were found closed.

(b) to (d) The Government is seized of the problem of sickness among the SSIs. In this context, the Reserve Bank of India (RBI) issued detailed guidelines to banks in January, 2002 on detection of sickness in SSI at an early stage, taking remedial measures and rehabilitation of potentially viable sick SSI units. As a sequel to the "Policy Package for Stepping up Credit to Small and Medium Enterprises (SMEs)" announced by the Government in August 2005, the RBI has also issued guidelines in September 2005 on debt restructuring of small and medium enterprises (SMEs) to facilitate restructuring of debt of all eligible SMEs.

In addition, the Government implements several schemes/programmes in the areas of credit, technology upgradation, marketing, infrastructural development, etc., to help SSIs become globally competitive. These schemes/programmes include Credit Linked Capital Subsidy Scheme, Small Industry Cluster Development Programme, ISO-9000/14001 Certification Fee Reimbursement Scheme, etc.

Further, the Government has enacted the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 to facilitate the promotion and

development of micro, small and medium enterprises and enhancement of their competitiveness. The Act has come into effect from 2 October, 2006.

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour...*(Interruptions)*...Q.No. 241.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, I have given a notice on Singur.

*...(Interruptions)...*

श्री सभापति: मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। Nothing will go on record. *...(Interruptions)...*

SHRI DINESH TRIVEDI:*

MR. CHAIRMAN: This much I can tell you *...(Interruptions)...* Don't disturb the Question Hour. *...(Interruptions)...* Please don't disturb the Question Hour. I won't allow you. *...(Interruptions)...* I will not allow you. Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* I cannot commit anything. *...(Interruptions)..* Question No. 241.

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, as per the Minister's statement, out of 22,62,401 SSI units, 8,87,427 units are closed. The trend is continuing, even after the Government's lop-sided policy and the revival package of 2005. I would like to know from the hon. Minister about the number of units which have availed of the new package. I would also like to know from the hon. Minister whether the banks have achieved their own target of funding the minimum 20 per cent year-on-year growth credit to the small-scale industries. If so, what is the percentage achieved, and the percentage of revival of potentially viable units which have been revived in 2005-06?

श्री महावीर प्रसाद: श्रीमन्: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो 22 लाख इकाइयां बतायी गयी हैं, जो लगभग 22 लाख हैं, उनमें से 8 लाख के लगभग पंजीकृत इकाइयां मानी गयी हैं जो बंद पड़ी हैं। महोदय, हमारी इकाइयों की जो गणना होती है, पहले 1973-74 में गणना हुई थी। उसके बाद पुन: 1990-91 में लघु उद्योगों की गणना हुई थी, फिर 2001-02 में गणना हुई थी। उस गणना के आधार पर यह संख्या माननीय सदस्य को बतायी गयी है। जहां तक लघु उद्योगों के पुनरुद्धार करने का सवाल है, लगातार इसमें बहुत सी योजनाएं हम चला रहे हैं और उन योजनाओं के आधार पर माननीय सदन को और माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मार्च 1999 में करीब 3,06,201 इकाइयां रुग्ण थीं, आज

*Not recorded.

मार्च 2005 में घटकर 1,38,000 इकाइयां हो गयी हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय अविरल गति से इन लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाएगा।

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has not replied to my supplementary whether the banks have achieved the 20 per cent year-on-year growth and also the percentages availed of by them. The hon. Minister has not replied about the percentage of the revival of potential units. As per the Annual Report, the percentage of revival of potential units in 2001-02 was 0.52 per cent, and it has gone down to 0.15 per cent in 2005-06. This shows that the revival package is not helping any small-scale industry. Due to bureaucratic procedures, the policies are not being implemented at the field level. At the field level, banks are insisting on collateral security, even though the CGF Scheme is there. Sir, because of the marketing problems, the SSI is not able to compete with the big players. Irregular power supply, high cost of power, poor infrastructure, lack of training and awareness are all the problems being faced by SSI. The hon. Minister has not given a proper reply to my supplementary. So, will the hon. Minister consider for constituting an Expert Committee to study all these problems are remedy the situation?

**श्री महावीर प्रसाद:** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो मैंने उनको उत्तर दिया है, आज हमारी रुग्ण इकाइयों की जो भी समस्या है, वह हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राप्त होती है। यदि किसी भी प्रकार की कोई इकाई रुग्ण है, तो हमारे पास सीधे उसका कोई आंकड़ा नहीं होता है। जो बैंक से ऋण लेते हैं, उन इकाइयों का जो भी जवाब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंत्रालय को बताता है, हम उसके आधार पर बताते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कोलेटरल के बारे में सवाल पूछा है, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक क्रेडिट फंड स्कीम चलाई है, वह इतनी महत्वपूर्ण कि मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बैंकों को निर्देश है कि वे पांच लाख तक की कोई जमानत या रेहन, कोई क्रेडिट, कोलेटरल सिक्योरिटी न मांगी जाए। यदि यह बात है तो 25 लाख तक (व्यवधान)...

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, I am asking about on collateral security. He is not replying to that. Sir, banks are insisting for collateral security.

**श्री महावीर प्रसाद:** आप धैर्य रखिए, मैं उसी पर आ रहा हूं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वे बहुत शीघ्रता कर रहे हैं, जो हमारी 25 लाख रुपए तक की क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बनाई गई है, हम मानते हैं कि उसका प्रचार नहीं हुआ है। मैं आपके

माध्यम से माननीय सदस्य से कहूंगा कि इसमें इतना बड़ा फायदा है कि यदि ऋणदाता 25 लाख रुपए लेता है, तो उसका 75 प्रतिशत यानी 18.75 प्रतिशत तक भारत सरकार उसकी खुद गारंटी ले लेती है। उनको केवल 1.5 प्रतिश्त और .75 प्रतिशत केवल गारंटी शुल्क अवश्य देना होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से लघु उद्योग जगत में जो हमारा फंड है, जिसकी भारत सरकार ने स्कीम चलाई है, उसका प्रचार किया जाए। मैं इसका प्रचार DAVP द्वारा करवा रहा हूं। मैं सभी से यह कहूंगा कि उद्योग जगत में हमारा इतना बड़ा हिस्सा है, श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप मेरे माध्यम से कोई हिस्से की बात मत बताना।

श्री महावीर प्रसाद: मैं केवल संक्षेप में यह कहना चाहूंगा कि जो ये हमारे कार्यक्रम हैं, योजना है और स्कीम है, इसके द्वारा हम लघु उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो अपने क्षेत्र में कोलेटरल से संबंधित क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है और जिसकी गारंटी स्वयं सरकार ले रही है, उसका प्रचार करें, मैं उनके साथ हूं।

SHRI M.V. MYSURA REDDY: Sir, banks are insisting on collateral security in spite of the CGF Scheme. Let the hon. Minister reply to this.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, he is asking for setting up of an Expert Committee.

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसका प्रचार नहीं हुआ है, बैंक इस बात को मान रहे हैं। सभी बैंक को रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स दी गई हैं कि वह उनको मानें। यदि कोई बैंक नहीं मानता है तो मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे मुझे सूचना दें, मैं उस संदर्भ में बात करूंगा।

श्री एकनाथ के० ठाकुर: मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा था। इन्होंने मुझे बताया है कि गाइडलाइन्स इम्पलीमेंट हो रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि ...(व्यवधान)... There are 66,000 branches ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति: मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं आपको एलाऊ नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... Please take your seat. Nothing will go on record. कोई भी रिकार्ड मत करिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए।

SHRI MOINUL HASSAN: Mr. Chairman, Sir, sickness among the small scale industries is a very grave problem throughout the country. The main reason for this is that there are no credit and marketing facilities. I will just

quote from the reply of the hon. Minister. "The Reserve Bank of India issued detailed guidelines to banks in January 2002 on detection of sickness in SSIs at an early stage, taking remedial measures and rehabilitation of potentially viable sick SSI units." Sir, these guidelines were issued in 2002.

MR. CHAIRMAN: What is your question? Please put the question. Don't take time in putting the question.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, my question is this. That was in 2002, and it is now 2006. Four years have already passed. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, how may SSI units have been made viable through this process, and how many have been rehabilitated in real terms. I would like to know this from the Minister.

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इसके लिए काफी उपाय किए गए हैं। इसी संदर्भ में 2005 में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक नीतिगत पैकेज भी दिया है, जिसके आधार पर हम लघु उद्योग में जो रुग्णता है, उसको दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गाइडलाइंस हैं, मैं माननीय सदस्य को इसकी डिटेल्स और गाइडलाइंस भिजवा दूंगा।

SHRI MOINUL HASSAN: I am not talking about the guidelines. I want to know how many SSI units have been rehabilitated through this process. This is my specific question.

श्री अमर सिंह: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी-अभी उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वे बड़ी अविरल गति से लघु उद्योग के प्रचार का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान विश्व बैंक की उस रिपोर्ट की ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत में Financial sector reforms केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं, जिससे केवल बड़े उद्योगों को अविरल गति से लाभ हुआ है और छोटे उद्योगों का अविरल गति से नुकसान हुआ है। यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की और मंत्री जी की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मैं World Bank की उस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूं जिसमें कहा गया है कि लघु उद्योग चौपट हुआ है और सिर्फ बड़े उद्योगों को अविरल गति से लाभ हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद: सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे अमर सिंह जी एक बहुत ही जागरूक सांसद हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि विश्व बैंक की वह रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है, उसको देखने के बाद, मैं आपको उसका उत्तर भिजवा दूंगा।